

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 491]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 29, 2019/भाद्र 7, 1941
No. 491]	NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 29, 2019/BHADRA 7, 1941

पोत परिवहन मंत्रालय

(पी.एच.आर.डी. प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 604(अ).—लोक परिसर (अनिधकृत कब्जों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम सं. 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित तालिका के कॉलम (2) में उल्लेखित दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारियों की नियुक्ति उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ संपदा अधिकारी के रूप में अधिसूचित करती है तथा उक्त अधिकारीगण उक्त तालिका के कॉलम (3) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों से संबंधित अपने संबंध कार्यश्रेत्र की स्थानीय सीमाओं के अंदर उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग तथा "संपदा अधिकारी" को सौंपे गए कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम व पदनाम	कार्यश्रेत्र की सीमा	कार्यकाल
1.	श्री. बिपिन सोलंकी, अधीक्षक अभियंता (यांत्रिक)	दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट से संबंध तथा इसके स्वामित्व, नियंत्रण एवं प्रबंधन के अधीन सभी भूमि एवं परिसर	~ 5
2.	श्री. ए.पी. त्रिवेदी, अधिशासी अभियंता (सिविल)	दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट से संबंध तथा इसके स्वामित्व, नियंत्रण एवं प्रबंधन के अधीन सभी भूमि एवं परिसर	~ 5
3.	श्री. आर. के. वर्मा, सहायक अधिशासी अभियंता (विद्युत)	अपतट तेल टर्मिनल, डीपीटी वाडीनार भूमि हेतु	पांच वर्षों की अवधि हेतु अथवा जब तक वे सेवारत रहें, जो भी पहले हो।
4.	श्री. के. जे. टोडरमल, अधिशासी अभियंता (सिविल)	दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट से संबंध तथा इसके स्वामित्व, नियंत्रण एवं प्रबंधन के अधीन सभी भूमि एवं परिसर	~ 5

4480 GI/2019 (1)

5.	श्री. श्रीनिवास राव, अधीक्षक अभियंता	दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट से संबंध तथा इसके	पांच वर्षों की अवधि हेतु अथवा
	(सिविल)	स्वामित्व, नियंत्रण एवं प्रबंधन के अधीन	जब तक वे सेवारत रहें, जो भी
		सभी भूमि एवं परिसर	पहले हो।

2. उक्त नियुक्तियां सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगी।

[फा. सं. ए-12011/8/2019-पी.ई.-II]

कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PHRD DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2019

G.S.R. 604(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 (Act No. 40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in the column (2) of the Table below, being officers of the Deendayal Port Trust, to be Estate Officers for the purpose of the said Act, and the said officers shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the "Estate Officer" by or under the said Act, within the local limits of their respective jurisdiction in respect of the Public Premises specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table:—

Sl. No.	Name & Designation of the Officer	Limits of Jurisdiction	Tenure
1.	±	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Deendayal Port Trust	or till he remains in
2.	Sh. A.P. Trivedi, Executive Engineer (Civil)	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Deendayal Port Trust	or till he remains in
3.	Sh. R.K. Verma, Assistant Engineer (Electrical)	For Offshore Oil Terminal, DPT, Vadinar lands	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier
4.	Sh. K.J. Todarmal, Executive Engineer (Civil)	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Deendayal Port Trust	or till he remains in
5.		All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Deendayal Port Trust	or till he remains in

2. The said appointment shall come into effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F. No. A-12011/8/2019-PE-II]

KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.